



मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2018-19



भोपाल
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
2019



मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2018-19



विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन

वर्ष 2018-19

मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

मंत्रालय

विभाग

मंत्री, राजस्व

प्रमुख सचिव

सचिव

अपर सचिव

उप सचिव

अवर सचिव

राजस्व विभाग

श्री गोविंद सिंह राजपूत

श्री मनीष रस्तोगी

श्री एम. सेल्वेन्द्रन

श्री दुर्ग विजय सिंह

श्री मुजीबुर्रहमान खान

श्री सुनील दुबे

सुश्री सुमन रायकवार

श्री एन. पी. अहिरवार

श्री राधेश्याम वर्मा

श्री अनूप कुमार मुण्डा

विभागाध्यक्ष

मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर

राहत आयुक्त

प्रमुख राजस्व आयुक्त

पुनर्वास आयुक्त

आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री

श्री मनोज गोयल

श्री मनीष रस्तोगी

श्री मनीष रस्तोगी

श्री मनीष रस्तोगी

श्री एम. सेल्वेन्द्रन

श्री दुर्ग विजय सिंह

अनुक्रमणिका

क्रमांक (1)	विषय (2)	पृष्ठ संख्या (3)
1	राजस्व विभाग की संरचना	1-2
2	प्रमुख राजस्व आयुक्त	3
3	प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय की स्थिति.	4
4	राहत आयुक्त कार्यालय	5-7
5	पुनर्वास आयुक्त	8-10
6	आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त	11-26
7	राजस्व मण्डल	27-31
8	नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री	32
9	बजट-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	
10	बजट राजस्व विभाग से संबंधित	
11	बजट-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	
12	बजट-आयोजनेत्तर-आयोजना	
13	बजट-आकस्मिकता निधि से देय	

राजस्व विभाग

राजस्व विभाग की संरचना :

राजस्व विभाग, राजस्व मंत्री के अधीन है, जिनकी सहायता के लिए सचिवालय स्तर पर 1 प्रमुख सचिव पदस्थ हैं। विभाग में 1 सचिव, 1 अपर सचिव, 2 उप सचिव, 4 अवर सचिव पदस्थ हैं। राजस्व विभाग को सौंपे गए उत्तरदायित्व के लिए विभाग में कुल 8 शाखाएं कार्यरत हैं।

राजस्व विभाग के दायित्वों के निर्वहन और क्रियान्वयन के लिए विभाग की राज्य स्तर पर संरचना निम्नानुसार है :—

- (1) मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर
- (2) प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश
- (3) राहत आयुक्त, भोपाल
- (4) पुनर्वास आयुक्त
- (5) आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
- (6) नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, भोपाल।

राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1 नवम्बर 1956 को मध्यप्रदेश राज्य का गठन हुआ जिसमें :—

1. पूर्व मध्यप्रदेश का महाकौशल क्षेत्र
2. मध्यभारत
3. विन्ध्यप्रदेश
4. भोपाल तथा
5. राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र

सम्मिलित किये गये। राज्य के गठन के पहले इन इकाईयों में भूमि विवादों से संबंधित विभिन्न प्रकार के कानून / अधिनियम लागू थे जिन्हें लोप किया जाकर दिनांक 2-10-1959 से मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 को लागू किया गया।

2. वर्तमान में मध्यप्रदेश में राजस्व से संबंधित इकाईयां इस प्रकार हैं :—

संभाग

जिले

- | | |
|-------------|---|
| 1. ग्वालियर | ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना एवं अशोकनगर |
| 2. चम्बल | भिण्ड, मुरैना एवं श्योपुर |
| 3. इन्दौर | इन्दौर, धार, झाबुआ, खरगौन, बड़वानी, खण्डवा, बुरहानपुर एवं अलीराजपुर |

<u>संभाग</u>	<u>जिले</u>
4. उज्जैन	उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, देवास, मंदसौर, नीमच एवं आगर-मालवा
5. भोपाल	भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ एवं विदिशा
6. होशंगाबाद	होशंगाबाद, हरदा एवं बैतूल
7. सागर	सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, निवाड़ी एवं टीकमगढ़
8. रीवा	रीवा, सीधी, सतना एवं सिंगरौली
9. जबलपुर	जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिन्दवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मण्डला एवं डिण्डीरी
10. शहडोल	शहडोल, अनूपपुर एवं उमरिया.

संभागों में कमिश्नर राजस्व तथा भूमि से संबंधित विवादों के कार्यों को देखते हैं. उनकी सहायता के लिये एक अतिरिक्त कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है. इसी प्रकार प्रत्येक जिले में कलेक्टर रहता है जिसकी सहायता के लिये अपर कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार इत्यादि पदस्थ रहते हैं. ये सभी मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 11 के अंतर्गत राजस्व अधिकारी के रूप में परिभाषित किये गये हैं और इन्हें राजस्व न्यायालयों की शक्तियां दी गई हैं.

प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-425-12-1-2004-सात-(4बी) दिनांक 15 फरवरी 2011 द्वारा राजस्व प्रशासन के सुचारू रूप से संचालन एवं इसे सुव्यवस्थित करने के लिये राज्य स्तर पर विभागाध्यक्ष कार्यालय की नितान्त आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा भोपाल में "प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय" की स्थापना की गई है जो वर्तमान में प्रथम तल राहत आयुक्त भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल में संचालित है।

2. राज्य शासन द्वारा प्रमुख राजस्व आयुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल को विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है।

3. प्रशासनिक दक्षता एवं जनसामान्य की सेवाओं को सुगम बनाने के लिये शासन द्वारा प्रमुख राजस्व आयुक्त को निम्नांकित शीर्षों के अंतर्गत विभागाध्यक्ष कार्यालय को प्रदत्त सामान्य अधिकारों के अनुरूप समुचित अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं। तदनुसार निम्न कार्य प्रमुख राजस्व आयुक्त के माध्यम से शासन को प्रस्तुत किये जावेंगे:—

1. तहसीलदार, नायब तहसीलदार स्थापना, सामान्य नियंत्रण, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति एवं स्थानान्तरण आदि.
2. संभाग आयुक्त, कलेक्टर एवं तहसील कार्यालयों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की स्थापना.
3. बजट संबंधी कार्य व बजट प्रस्ताव शासन को प्रेषित करना.
4. नजूल भूमि एवं जारी किये गये स्थायी एवं अस्थायी पट्टों, अनुज्ञप्तियों, बेदावा करारों आदि का विवरण संधारित करना, प्रीमियम एवं भू-भाटक का निर्धारण, उगाही एवं वसूली तथा अभ्यावेदनों की सुनवाई एवं निराकरण.
5. भू-अर्जन, विभिन्न वृहद् एवं लघु परियोजनाओं के लिये सड़कों आदि एवं अन्य लोक प्रयोजनों के लिये निजी भूमि सीमा के अर्जन की अनुमति.
6. नगरीय भूमि सीमा अधिनियम के अभाव में शासन हित में प्राप्त शहरी रिक्त भूमियों से आय / आवंटन.
7. कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम के अभाव में प्राप्त अतिशेष भूमियों का आवंटन आदि.
8. निजी भूमियों का कृषि भिन्न प्रयोजनों में व्यपवर्तन, प्रीमियम निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण.
9. भू-राजस्व एवं उगाही एवं वसूली.
10. आदिम जनजाति के भू-स्वामियों का हित संरक्षण.
11. राजस्व भूमियों से वृक्षों की कटाई का विनियमन.
12. निस्तार भूमि तथा चरनोई, बाजार हाट आदि की भूमियों की व्यवस्था.
13. राजस्व अभिलेखों की प्रतिलिपियों का प्रदाय आदि.
14. राज्य के विकास के लिये विभिन्न योजनाओं के लिये विभागों / संस्थाओं को भूमि उपलब्ध कराना.
15. विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों / नियमों / विनियम / अनुदेशों आदि के समय-समय पर आवश्यक संशोधन एवं परिवर्तन की कार्यवाही सुनिश्चित करना.
16. विभिन्न अधिनियमों, नियमों, विधियों तथा सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों में विभागाध्यक्ष को प्रदत्त सामान्य शक्तियां.
17. लोकसभा, राज्यसभा, विधान सभा, महालेखाकार से संबंधित कार्यवाही
18. अन्य कार्य जो समय-समय पर शासन द्वारा सौंपे जाते हैं.

प्रमुख राजस्व आयुक्त

वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राप्त आकंटन एवं व्यय की स्थिति
(जानकारी माह जनवरी, 2019 की स्थिति में)

स. क्र.	मांग संख्या	मुख्य लेखा शीर्ष	योजना	बजट प्रावधान	कुल व्यय (जिलों को आकंटित)	शेष आकंटन	निर्वाह
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	08	2053	0441—आदेशिका बाहन स्थापना	1071792	815147	256645	
2.	08	2053	0452—आयुक्त स्थापना	274209	164651	109558	
3.	08	2053	0619—उप संभागीय स्थापना	2542864	2049294	493570	
4.	08	2053	6924—प्रमुख राजस्व आयुक्ता स्थापना	67669	40285	27384	
5.	08	2053	1509—शू-राजस्व तथा जिला प्रशासन स्थापना.	2907097	1825356	1081741	
6.	08	2053	7415—लोक शोध राशि कसूली प्रोत्साहन राशि.	100	0	100	
7.	08	2053	8808—सूचना एवं प्रौद्योगिक संबंधी कार्य.	54802	1901	52101	
8.	08	2053	7300—स्व. सुशील चंद्र वर्मा पारितोषिक पुरस्कार.	1000	0	1000	
योग मुख्य लेखा शीर्ष 2053				6918733	4896634	2022099	
9.	08	2075	1412—जमींदारी प्रथा की समाप्ति पर बख्सावतियों की क्षति पूर्ति.	10	0	10	
10.	08	2075	2617—पुनःग्रहीत भूमियों के बदले निर्बुद्धि क्षेत्र.	53	15	38	
योग मुख्य लेखा शीर्ष 2075				63	15	48	
11.	08	4059	5160—कम आबादी वाली तहसीलों में आबासीय परिसर का निर्माण.	366025	223546	142479	
12.	08	4059	6664—तहसील जिला एवं संभाग के भवन निर्माण.	1045000	497132	547868	
योग मुख्य लेखा शीर्ष 4059				1411025	720678	690347	
13.	08	6401	0862—कृषक ऋण विधान	350	0	350	
योग मुख्य लेखा शीर्ष 6401				350	0	350	
योग मुख्य शीर्ष 08				8330171	5617327	2712844	
14.	09	2075	4376—समर्पण तथा क्षतिपूर्तियां झकन एवं सिल्लेदारों और दामी दरखादारों का भुगतान.	200	0	200	
योग मुख्य लेखा शीर्ष 2075				200	0	200	
योग मुख्य शीर्ष 09				200	0	200	
योग मुख्य शीर्ष 08 एवं 09				8330371	5617327	2713044	

कार्यालय राहत आयुक्त, राजस्व राहत भवन

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

राहत आयुक्त कार्यालय स्थापना, सामान्य परिचय एवं भूमिका :

प्रदेश स्तर पर प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की जानकारी संकलित करने और आपदा प्रभावितों को प्रदाय की जा रही राहत की निरन्तर मॉनीटरिंग करने के उद्देश्य से राजस्व विभाग के अन्तर्गत राहत आयुक्त कार्यालय की स्थापना वर्ष 1979-80 में शासन द्वारा की गई। राहत आयुक्त कार्यालय में प्राकृतिक आपदाओं यथा अग्नि-सूखा, ओला, पाला, कीट प्रकोप, आंधी-तूफान एवं बाढ़ आदि से प्रभावितों को त्वरित रूप से राहत पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है। विभाग यह कार्य जिला स्तर पर जिला प्रशासन के माध्यम से संपादित करता है। राहत आयुक्त कार्यालय का सेटअप निम्नानुसार है :—

स.क्र. (1)	पदनाम (2)	स्वीकृत पदों की संख्या (3)	भरे पदों की संख्या (4)	रिक्त पदों की संख्या (5)
1.	राहत आयुक्त	01	01	00
2.	उपराहत आयुक्त	02	01	01
3.	लेखाधिकारी	01	00	01
4.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	02	00	02
5.	सहायक अंकेक्षण अधिकारी	01	01	00
6.	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	01	00	01
7.	डाटाएन्ट्री ऑपरेटर	02	00	02
8.	अवैषक	03	01	02
9.	संमणक	01	00	01
10.	सहायक ग्रेड-2	01	01	00
11.	लेखापाल	01	01	00
12.	सहायक ग्रेड-3	04	04	00
13.	स्टेनो टायपिस्ट	01	01	00
14.	स्टेनो ग्राफर	01	00	01
15.	वाहन चालक	04	03	01
16.	भृत्य	05	04	01
17.	डाकसईडर	02	02	00
18.	चौकीदार	01	01	00
कुल पद		34	21	13

2. अपने सीमित अमले की सहायता से यह कार्यालय सभी प्राकृतिक आपदाओं की विस्तृत जानकारी एकत्रित कर उनका सारणीकरण कर राज्य शासन को अवगत कराता है। निर्धारित मापदण्डों के अन्तर्गत जिला कलेक्टरों के माध्यम से प्रभावितों को त्वरित तथा यथायोग्य सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस कार्यालय द्वारा वर्षा ऋतु में राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष 24 घंटे संचालित कर वर्षा तथा बाढ़ की स्थिति की निरंतर मॉनीटरिंग की जाती है, साथ ही आवश्यकता होने पर जिलों में तत्काल राहत सहायता हेतु हेलीकॉप्टर एवं एनडीआरएफ बल आदि की सेवायें उपलब्ध कराने हेतु सहयोग प्रदान किया जाता है।

3. भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से राहत पहुंचाने के लिये राज्य आपदा मोचन निधि (एस. डी. आर. एफ.) की स्थापना वर्ष 2010-11 में तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप की गई है। एस. डी. आर. एफ. की निर्धारित राशि का 75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश होता है। वर्ष 2015-16 में चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार केन्द्रांश एवं राज्यांश का आकार निम्नानुसार है :-

क्र.	वर्ष	केन्द्र का भाग (75 प्रतिशत)	राज्य का भाग (25 प्रतिशत)	योग राशि करोड़ में
1	2015-16	657.75	219.25	877.00
2	2016-17	690.75	230.25	921.00
3	2017-18	725.25	241.75	967.00
4	2018-19	762.00	254.00	1016.00
5	2019-20	799.50	266.50	1066.00

4. मध्यप्रदेश शासन आपदाओं से हुई क्षति के मामलों में प्रभावितों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ राजस्व पुस्तक के परिपत्र 6-4 में प्रावधान रखा है जिससे प्रभावित पर आई आपदा का मुकाबला करने के लिये उसमें मनोबल बना रहे और वह अपने परिवार को पुनर्स्थापित कर सके। इसके साथ ही समय-समय पर पीड़ितों को दी जाने वाली सहायता राशि में संशोधन कर उल्लेखनीय वृद्धि की जाती है।

5. प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावितों को हुई क्षति के अनुसार तत्काल सहायता राहत राशि उपलब्ध करायी जाती है। व्यापक आपदाओं के आने पर एसडीआरएफ के निर्धारित राशि एवं राज्य शासन से उपलब्ध बजट से अधिक व्यय होने की संभावना पर भारत सरकार को मेमोरेण्डम भेजा जाकर अतिरिक्त सहायता राशि की मांग राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (N.D.R.F.) से की जाती है।

6. विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में अनुदान सहायता :

वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपदा प्रभावितों को तत्काल राहत सहायता दिये जाने के निमित्त, प्राकृतिक आपदा ओला, बाढ़, आकाशीय बिजली, आंधी-तूफान, सर्पदंश एवं वन्य प्राणियों से फसल क्षति (ग्लोबलाइज्ड मद)

में आहरित राशि तथा शेष मदों में आवंटित राशि का ट्रेजरी सर्वर से प्राप्त Expenditure Report निम्नानुसार है:—

Bco Code	Demand Number	Major	Scheme	Segment	Allotment to Bco	Allotment to Ddo	Expenditure by Ddo
0708	58	2245	0096 (Globlize)	8888	378000000	0	232800861
0708	58	2245	6422	8888	7978800000	9264000000	8273407448
0708	58	2245	8874	8888	9000	0	0
0708	58	2245	2661	8888	21078000	21078000	12376720
0708	58	2245	6434	8888	99000000	18048175	4637265
0708	58	2245	5496	8888	1089000	0	0
0708	58	2245	5497	8888	9000	0	0
0708	58	2245	0747 (Globlize)	8888	1660000000	0	1625391111
0708	58	2245	2018 (Globlize)	8888	699160000	0	547445253
0708	58	2245	0989	8888	1050000	0	0
0708	58	2245	5498	8888	945000	0	0
0708	58	2245	0474	8888	1000	0	0
0708	58	2245	0475	8888	10160000000	0	0
0708	58	2245	5500	8888	945000	0	0
0708	58	2245	6276	8888	900	0	0
0708	58	2245	6370	1301	1000	0	0
0708	58	2245	6374	8888	1000	0	0
0708	58	2245	6436	8888	45000000	45000000	10967879
0708	58	2245	6949	8888	70003000	0	0
0708	58	2245	7024	8888	1000	0	0
0708	58	2245	5504 (Globlize)	8888	1100000000	0	1079368861
0708	58	2245	6097 (Globlize)	8888	1000000000	0	538139686
0708	58	2245	7021	8888	85665500	0	0
0708	58	2245	7249	8888	484484500	474523280	362061192
0708	58	2245	7250 (Globlize)	8888	18000000	799831	5085357
0708	58	2245	8030	8888	1350000	0	0
0708	58	6245	2750	8888	10000000	0	0
Total . .					23814592900	9823449286	1269,16,81,633

(Expenditure by DDO of Rs. Twelve Hundred Sixty Nine Crore Sixteen Lakh Eighty One Thousand Six Hundred Thirty Three)

पुनर्वास आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
वर्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

1. विभागीय संरचना :-

विभागाध्यक्ष स्तर पर पुनर्वास आयुक्त तथा उप पुनर्वास आयुक्त हैं।

2. कार्यालय :-

राजस्व (पुनर्वास) विभाग के दायित्वों के निर्वहन और क्रियान्वयन के लिये पुनर्वास आयुक्त कार्यालय राजस्व-राहत भवन में है, जिसमें अमला पुनर्वास आयुक्त तथा उप पुनर्वास आयुक्त के अधीन कार्य करता है।

3. विभाग के अन्तर्गत आने वाले मण्डल / उपक्रम / संस्थाओं का विवरण :-

पुनर्वास आयुक्त कार्यालय के अन्तर्गत कोई मण्डल / उपक्रम / संस्था कार्यरत नहीं है।

4. अधीनस्थ कार्यालय :-

- | | |
|---|--|
| 1. कार्यालय कार्यव्यवस्थापक
सी.सी.एफ. इकाई, इटारसी,
जिला-होशंगाबाद. | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
इटारसी के पास अतिरिक्त प्रभार |
| 2. कार्यालय कार्यव्यवस्थापक
सी.सी.एफ. इकाई, हरदा,
जिला-हरदा. | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
हरदा के पास अतिरिक्त प्रभार |
| 3. प्रभारी अधिकारी
पुनर्वास परियोजना, शाहपुर,
जिला-बैतूल. | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
शाहपुर के पास अतिरिक्त प्रभार |

पुनर्वास आयुक्त कार्यालय

5. वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय की स्थिति :
(जानकारी माह दिसम्बर, 2018 की स्थिति में)

स.क्र.	पॉम संख्या	मुख्य लेखा शीर्ष	योजना	बजट प्रावधान	कुल व्यय	शेष आवंटन	रिमांक
1.	08	2235	2709-प्रधान कार्यालय के कर्मचारी वृंद पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के लिए (नये)	76.32	23.63	52.69	

पुनर्वास आयुक्त कार्यालय में प्रचलित गतिविधियाँ

1. दिनांक 01-04-1984 के पश्चात् विस्थापितों को दिये गये ऋणों के अपलेखन संबंधी कार्य. (बैतूल, पन्ना, सतना, उज्जैन, इन्दौर, राजगढ़) राशि रुपये 59.31 लाख के सर्टिफिकेट भारत सरकार को प्रेषित करना.
2. दिनांक 01-04-1984 के पूर्व विस्थापितों को भारत सरकार द्वारा दिये गये ऋणों के अपलेखन का कार्य. भारत सरकार द्वारा कुल ऋण राशि रुपये 5,74,24,370.23 के अपलेखन स्वीकृति दी गई है. विभिन्न जिलों के विस्थापितों को दिये गये ऋण राशि रुपये 5,66,01,022.51 अपलेखन की स्वीकृति जारी की गई है शेष राशि रुपये 8,23,347.72 का अपलेखन किया जाना है. भोपाल जिला शेष बचा है.
3. भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में विस्थापितों की बसाहट के रूप में दिये गये ऋण माफ किये जाने के परिप्रेक्ष्य में विस्थापितों के ऋण के एवज में उनकी रखी गई मकानों की रजिस्ट्रीयों के विमुक्त कराने की कार्यवाही की जा रही है. जिला इन्दौर के 128 तथा जिला देवास के 43 विस्थापित परिवारों के मकानों की रजिस्ट्रीयों विमुक्त कराई गई है. अन्य जिलों यथा छतरपुर, बालाघाट, नरसिंहपुर, मंडला, सीहोर, टीकमगाढ़, दमोह, ग्वालियर, मुरैना, सागर, मंदसौर, पन्ना, सिवनी, गुना, विदिशा, बैतूल, सतना, जबलपुर, देवास, रायसेन, उज्जैन, छिन्दवाड़ा, खण्डवा एवं इन्दौर के बंगाली विस्थापितों की रजिस्ट्रीयों विमुक्त कराने का कार्य.
4. बजट कार्य व बजट प्रस्ताव शासन को प्रेषित करना.
5. पुनर्वास आयुक्त कार्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की स्थापना.
6. पुनर्वास परियोजना शाहपुर जिला बैतूल स्थित ग्राम लखीपुर के निस्तारी ताताब को दिनांक 15-08-1984 को अतिवृष्टि से हानि प्रकरणा के निराकरण संबंधी कार्य.
7. सी.सी.एफ. यूनिट हरदा, जिला हरदा में दिनांक 24-06-1985 तेज हवा एवं तूफान से शासन को हुई हानि प्रकरणा के निराकरण संबंधी कार्य.
8. डी.सी. वित्तस प्राप्त कर महालेखाकार मध्य प्रदेश ग्वालियर को भिजवाने का कार्य.
9. निष्कौल संपत्तियों के प्रकरणों के निराकरण से प्राप्त चालानों का संभारण.
10. सी.सी.एफ. यूनिट इटारसी की विभिन्न विभागों पर राशि रुपये 28,28,000/- तथा हरदा की राशि रुपये 8,71,000/- कुल राशि रुपये 36,99,000/- बकाया राशि (जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, नगरीय प्रशासन, वन विभाग, उद्यानिकी विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा लघु उद्योग निगम से वसूली का कार्य.
11. बंगाली विस्थापितों के पट्टों से संबंधित कार्य.

बंगाली विस्थापितों की आवंटित पट्टों की जानकारी

परियोजना	बंगाली विस्थापितों की बसाहट का कार्य	विस्थापितों की पट्टा वितरण का कार्य
हरदुआ जिला पन्ना	772	772
उसरार जिला सतना	247	234
शाहपुर जिला बैतूल	2618	1697

12. विभिन्न अधिनियमों, नियमों तथा सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों में विभागाध्यक्ष.
13. लोकसभा, राज्यसभा, विधान सभा, महालेखाकार से संबंधित कार्यवाही.
14. अन्य कार्य जो समय-समय पर शासन द्वारा सौंपे जाते हैं.
15. विभागाध्यक्ष कार्यालय के विभिन्न कार्य.

राजस्व विभाग के अधीन (विभागाध्यक्ष) पुनर्वास आयुक्त कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय सी.सी.एफ.
इकाईयों एवं परियोजनाओं में उपलब्ध पदों का विवरण

क्र.	कार्यालय का नाम	स्वीकृत पद का नाम	पदों की संख्या	भरे पद	रिक्त पद	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	पुनर्वास आयुक्त कार्यालय, राजस्व-राहत भवन, भोपाल					
	1.	पुनर्वास आयुक्त	01	0	01	01 प्रमुख सचिव राजस्व के पास अतिरिक्त प्रभार.
	2.	सहायक कार्य- व्यवस्थापक.	01	0	01	01
	3.	सहायक ग्रेड-एक	01	01	0	01
	4.	सहायक ग्रेड-दो	01	0	01	01
	5.	तकनीकी सहायक	01	0	01	01
	6.	सहायक ग्रेड-तीन	01	01	0	01
	7.	दफ्तरी भृत्य	01 01	01 01	0 0	01 01
	योग . .		08	04	04	08
2.	पुनर्वास परियोजना शाहपुर, जिला बैतूल					
						अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शाहपुर के पास प्रभार
	1.	सहायक ग्रेड-तीन	01	0	01	01
	2.	भृत्य	01	01	0	01
	योग . .		02	01	01	02
3.	कार्यव्यवस्थापक सी.सी.एफ. इकाई, इटारसी, जिला होशंगाबाद					
	1.	कार्यव्यवस्थापक	01	0	01	01 अनुविभागीय अधिकारी राजस्व इटारसी के पास प्रभार
	2.	चौकीदार	01	0	01	01
	योग . .		02	0	02	02
4.	सी.सी.एफ. इकाई, हरदा, जिला हरदा					
						अनुविभागीय अधिकारी राजस्व इटारसी के पास प्रभार
	1.	उप कार्यव्यवस्थापक	01	0	01	01
	योग . .		01	0	01	01
	कुल स्वीकृत पदों का योग . .		13	05	08	13

उप पुनर्वास आयुक्त
मध्यप्रदेश, भोपाल.

आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

प्रस्तावना

राजस्व विभागान्तर्गत भू-अभिलेख संबंधी कार्यों के संचालन हेतु विभागाध्यक्ष आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त कार्यालय मोतीमहल, ग्वालियर में स्थित है। कार्यालय का मुख्य कार्य नक्शों/अभिलेखों को तैयार कराना तथा अद्यतन बनाये रखना है। इस कार्य हेतु जिला स्तर पर प्रभारी अधिकारी कलेक्टर भू-अभिलेख एवं अधीक्षक/सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख तथा आर. आई./पटवारी जिले का अमला संभाग स्तर पर उपायुक्त भू-अभिलेख कार्यालय संचालित है, जो जिलों के कार्य का पर्यवेक्षण करते हैं।

भू-अभिलेख के अन्तर्गत सर्वे/रि-सर्वे की महत्वपूर्ण योजना भारत सरकार के सहयोग से चल रही है। जिसके अन्तर्गत नगरेत्तर/नगरीय/आबादी के डिजिटल नक्शे तैयार कराये जाने की योजना है।

भू-अभिलेख के अन्तर्गत राजस्व अभिलेख एवं नक्शों का डिजिटাইजेशन कराया गया है। रिकॉर्ड को जिलों में व्यवस्थित रखने के लिये मॉर्डन रिकॉर्ड रूम बनाये गये हैं तथा अभिलेखों को डिजिटल फार्म में व्यवस्थित किया गया है। इनसे आम जन को रिकॉर्ड की नकल दी जाने की सुविधा दी गई है। कृषि सांख्यिकीय के अन्तर्गत लघु सिंचाई संगणना वर्षा संबंधी जानकारी फसल बीमा योजना के अन्तर्गत कार्य किये जाते हैं। क्षेत्रीय अमले पटवारी/राजस्व निरीक्षक के कार्यालय सह-आवास योजना प्रचलित है। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान एवं दो राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण तथा नौ पटवारी प्रशिक्षण शालाएं संचालित हैं। जिनमें विभागीय अमले को विभागीय कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। भारत सरकार/अन्य विभाग से जानकारी दी जाना आदि हेतु विभागीय वेबसाइट www.landrecords.mp.gov.in उपलब्ध है।

अतः भू-अभिलेख का महत्वपूर्ण कार्य विभागाध्यक्ष के निर्देशन में किया जाता है।

1. भू-अभिलेखों का आधुनिकीकरण :

1.1 भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण :—

1.1.1 प्रदेश में भू-अभिलेख से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस तैयार किया गया है। अभी तक प्रदेश के समस्त 55778 ग्रामों के 1.51 करोड़ भूमि स्वामियों के 4.37 करोड़ खसरा नम्बरों का इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस तैयार किया जा चुका है, जिसमें सर्वे नम्बर, क्षेत्रफल, भूमिस्वामी का नाम, स्वामित्व का प्रकार, पूर्ण पता, जाति, मिट्टी का प्रकार, भू-राजस्व, सिंचाई साधन, फसल का नाम, इत्यादि की जानकारी सम्मिलित है। उक्त डाटाबेस का निरन्तर अद्यतन तहसील स्थिति डाटा सेन्टर पर तहसीलदारों से पर्यवेक्षण एवं जिला कलेक्टर्स के नियंत्रण में किया जा रहा है।

1.1.2 कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख (खसरा, बी-1 एवं नक्शा) के ऑनलाइन मॉडिफिकेशन/अपडेशन तथा सिटीजन सर्विसेज हेतु PPP Boot Model पर web based GIS solution तैयार करना :— कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेखों (खसरा, बी-1 एवं नक्शा) के ऑनलाइन मॉडिफिकेशन/अपडेशन तथा सिटीजन सर्विसेज उपलब्ध कराने के लिए पी. पी. पी. बूट मॉडल पर वेब बेस्ड जी. आई. एस. एप्लीकेशन तैयार कराया जा रहा है। भू-अभिलेख डाटा के मानिकीकरण हेतु डाटा क्लीनिंग एवं डाटा अद्यतन की कार्यवाही 31 जिलों में पूर्ण कर वेब बेस्ड जी. आई. एस. लागू कर दिया गया है। इन जिलों में डाटा अद्यतन एवं डिजिटली हस्ताक्षरित भू-अभिलेख (खसरा, नक्शा एवं बी-1) प्रतिलिपियों का प्रदाय ऑनलाइन किया जा रहा है। प्रदेश के शेष 21 जिलों में वेब बेस्ड जी.आई.एस. एप्लीकेशन शीघ्र लागू कर दिया जाएगा।

1.1.2 विभागीय वेबसाइट.—प्रदेश का भू-अभिलेख वेब के माध्यम से आम नागरिक, बैंक, पंजीयन कार्यालय आदि सभी शासकीय एवं गैर शासकीय संस्थाओं को ऑनलाईन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1 फरवरी 2007 से इसे विभागीय वेबसाइट पर होस्ट कराया जा रहा है. वर्तमान में प्रदेश के सभी 52 जिलों की 369 तहसीलों का डाटा विभागीय वेबसाइट पर होस्ट है. 31 जिलों का अद्यतन डाटा वेब साइट www.mpbhulekh.gov.in एवं 22 जिलों का अद्यतन डाटा वेब साइट www.landrecords.mp.gov.in उपलब्ध है.

1.1.3 कम्प्यूटरीकृत प्रतियों का वितरण.—कम्प्यूटरीकृत नकल वितरण वर्ष 2001-02 से प्रारंभ किया गया है. कम्प्यूटरीकृत खसरा प्रतिलिपि का वितरण अनिवार्य किए जाने से प्रदेश में कम्प्यूटरीकृत नकल वितरण में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

वित्तीय वर्ष	खसरा बी-1 एवं नक्शा प्रतिलिपियों की पृष्ठ/सेट संख्या	प्राप्त राजस्व (रुपयों में)
2001-2002	3,88,477	34,79,765
2002-2003	5,57,898	55,13,287
2003-2004	5,80,489	60,91,043
2004-2005	7,93,548	91,88,006
2005-2006	10,63,405	1,46,77,193
2006-2007	13,40,018	2,28,90,536
2007-2008	19,40,610	3,10,26,690
2008-2009	17,70,420	2,51,16,398
2009-2010	25,10,416	3,64,52,186
2010-2011	29,59,869	4,12,23,790
2011-2012	53,07,148	5,93,99,298
2012-2013	63,82,060	5,62,79,191
2013-2014	45,78,397	1,97,52,060
2014-2015	29,80,132	2,76,88,983
2015-2016	29,56,646	4,23,85,070
2016-2017	22,85,691	5,29,54,285
2017-2018	38,50,010	15,06,78,700
2018-2019	14,02,479	2,51,18,957
(31 दिसम्बर 2018 तक)		

2. तहसील स्थित अभिलेखागारों का आधुनिकीकरण (modernize) करना :—

अभिलेखागारों के आधुनिकीकरण कार्य के अन्तर्गत, पूर्व से निर्मित अभिलेखागार भवन का रिनोवेशन/इलेक्ट्रिफिकेशन कर इनमें आई. टी. (सर्वर, कम्प्यूटर, एम. एफ. डी., यू. पी. एस. आदि) एवं नॉन-आई.टी. उपकरण (कॉम्पेक्टर, प्रैप केबिनेट, एंगल रैक, एयर कण्डीशनर आदि) स्थापित कराए जा रहे हैं। आधुनिक कॉम्पेक्टर में पुराने अभिलेखों को लम्बे समय तक सुरक्षित रखा जा सकेगा। इसके अतिरिक्त पुराने अभिलेखों की स्केनिंग, बारकोडिंग, इन्डेक्सिंग, टैगिंग आदि करायी जाकर, डिजिटल डॉक्यूमेन्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के माध्यम इनके संधारण एवं नकल उपलब्ध कराने की कार्यवाही 42 जिलों में प्रारम्भ कर दी गई है। डिजिटल रूप में परिवर्तित इन अभिलेखों को भविष्य में वेब बेस्ड जी. आई. एस. एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन रिट्रीव कर नकल प्राप्त करने की कार्यवाही की जाना है।

49 जिलों की 337 तहसीलों के अभिलेखागारों का आधुनिकीकरण पूर्ण किया गया। 2 जिलों (छतरपुर एवं बालाघाट) अभिलेखागारों के आधुनिकीकरण का कार्य प्रगति पर है। 49 जिलों में अभी तक बन्दोबस्त अभिलेखों के 3,17,27,050 पृष्ठों की स्केनिंग कर ली गई है।

कार्य पूर्ण जिलों में बन्दोबस्त के अभिलेख की प्रतिलिपि किसानों को हाथों हाथ उपलब्ध करायी जा रही है।

3. मध्यप्रदेश भू-अभिलेख प्रबंधन समिति का गठन, स्वरूप एवं उद्देश्य.—

प्रदेश में भारत सरकार द्वारा संचालित नेशनल लैण्ड रिकार्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (NLRMP) के Implementation एवं execution हेतु त्रिस्तरीय PMU “म. प्र. भू-अभिलेख प्रबंधन समिति” का गठन एक सोसायटी के रूप में दिनांक 5-9-2011 को कराया गया है। समिति का पंजीयन क्रमांक 02/42/01/15278/11 है तथा स्वरूप निम्नानुसार है.—

समिति का नाम (1)	स्वरूप (2)	उद्देश्य (3)	गठन का आदेश (4)
शासी निकाय (Governing Body)	मुख्य सचिव म. प्र. शासन की अध्यक्षता में.	राज्य स्तर पर योजना की मॉनीटरिंग एवं रिव्यू	समिति के गठन का प्रस्ताव, मेमोरेण्डम एवं नियमावली का मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 12-7-2011 को अनुमोदित.
कार्यकारी समिति (Executive Body)	प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, राजस्व विभाग की अध्यक्षता में.	राज्य स्तर पर योजना का क्रियान्वयन एवं मॉनीटरिंग.	म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक एफ-2- 14/2011/सात-6, दिनांक 13-1-2012 द्वारा.
कार्यान्वयन समिति (Implementing Body)	कलेक्टर की अध्यक्षता में.	जिला स्तर पर योजना की क्रियान्वयन एवं मॉनीटरिंग.	म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक एफ-2- 14/2011/सात-6, ए, दिनांक 13-1-2012 द्वारा.

मध्यप्रदेश भू-अभिलेख प्रबंधन समिति के शासी निकाय की बैठकों का आयोजन मान. मुख्य सचिव, म. प्र. शासन की अध्यक्षता में किया जा रहा है. जनवरी 2019 तक शासी निकाय की 12 बैठक एवं कार्यकारी समिति की 5 बैठक आयोजित की गई हैं.

4. सांख्यिकीय से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन.—

1. लघु सिंचाई संगणना.—पांचवी लघु सिंचाई संगणना वर्ष 2013-14 का सम्पूर्ण कार्य समाप्त हो गया है. आगामी वर्ष के कार्य हेतु यह योजना सासा कृषि विभाग को सौंपी गई है.

2. प्रकाशन शाखा.—“म. प्र. की आधारभूत कृषि सांख्यिकी” नामक प्रकाशन प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. कृषि सांख्यिकी संबंधी जानकारी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है.

3. सामान्य सांख्यिकी शाखा.—सभी जिलों से प्राप्त वार्षिक कृषि सांख्यिकी सारणी तथा ऋतु एवं फसल प्रतिवेदन के आधार पर राज्य स्तरीय आंकड़े तैयार किए जाते हैं.

51 जिलों से वर्ष 2017-18 की वार्षिक कृषि सांख्यिकी सारणी तथा ऋतु एवं फसल प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं. उनकी सारणी करण कार्य किया जा रहा है. दोनों प्रकाशनों का संकलन कार्य पूर्ण कर शीघ्र ही कार्यालय की वेबसाइट पर www.landrecords.mp.gov.in होस्ट कर दी जावेगी.

4. थोकभाव.—कृषि जन्य पदार्थों के प्रत्येक वर्ष के थोक भाव सूचकांक 2017-18 तक विभागीय वेबसाइट पर www.landrecords.mp.gov.in पर होस्ट करायी गई है. संबंधितों को मांगने पर समय-समय पर वेबसाइट की जानकारी से अवगत कराया जाता है तथा मांगने पर संबंधितों को उपलब्ध कराई जाती है.

5. प्रक्षेत्रीय भाव.—प्रक्षेत्रीय भाव का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 (कृषि माह जुलाई से जून तक) प्रगति के आधार पर तैयार कर कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को माह सितम्बर 2018 में भेजा गया है.

6. ग्रामीण फुटकर बाजार भाव एवं मजदूरों की मजदूरी की जानकारी.—ग्रामीण फुटकर बाजार भाव एवं मजदूरों की मजदूरी के प्रतिवेदन सलाहकार, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली को समय पर भेजे जाते हैं तथा माह नवम्बर वर्ष 2018 का भेजा जा चुका है.

ग्रामीण मजदूरी के प्रतिवेदन के आधार पर मासिक सूचकांक तैयार कर भारत सरकार को भेजे जाते हैं. जो माह अगस्त 2018 तक भेजा जा चुका है.

7. वर्षा संबंधी जानकारी—साप्ताहिक वर्षा.—साप्ताहिक विवरण अक्टूबर 2017 में जिलों से प्राप्त जानकारी के आधार पर राज्यस्तरीय जानकारी तैयार कर संबंधितों को भेजी गई है. वर्ष 2018 में वर्षा मौसम में 1 जून से 10-10-2018 की साप्ताहिक वर्षा संबंधितों को भेज दी गई है. यह विवरण प्रतिवर्ष 1 जून से 15 अक्टूबर के बीच के सप्ताहों में भेजा जाता है.

8. **प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना पटवारी हल्का स्तर.**— इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष मौसम खरीफ में फसल धान सिंचित धान असिंचित, सोयाबीन, तूअर, बाजरा, मक्का तथा रबी मौसम में गेहूँ सिंचित, गेहूँ असिंचित चना, राई सरसों फसल कटाई प्रयोग चुने गये पटवारी हल्कों में (चुनी गई अधिसूचित फसलों का क्षेत्रफल 100 हेक्टेयर या अधिक के पटवारी हल्कों को अधिसूचित किया जाता है. पटवारी हल्का स्तर पर फसल कटाई प्रयोगों के पत्रकों का कम्प्यूटराइजेशन जिला कलेक्टर के अधिनस्थ अधीक्षक, भू-अभिलेख द्वारा औसत पैदावार की जानकारी बीमा कंपनी भोपाल को उपलब्ध कराई जाती है.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पटवारी हल्का स्तर पर मौसम खरीफ, रबी वर्ष 2018-19 अधिसूचना कृषि विभाग भोपाल द्वारा जारी कर दी गई है. मौसम खरीफ 2018-19 की औसत पैदावार की जानकारी जिला अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा तैयार की जा रही है.

9. **नई राष्ट्रीय फसल बीमा योजना (जिला स्तरीय).**— मौसम खरीफ फसल मूंग व उड़द तथा मौसम रबी फसल मसूर हेतु वर्ष 2016-17 अधिसूचित किये गये हैं.

10. **फसल बीमा योजना तहसील स्तरीय.**— फसल बीमा योजना तहसील स्तर के उन तहसीलों में लागू है जिन चुनी गई अधिसूचित फसलों का क्षेत्रफल 500 हेक्टर या अधिक है वर्तमान में खरीफ के अंतर्गत ज्वार, तिल, कोदो-कुटकी, मूंगफली, कपास तथा रबी के अंतर्गत फसल अलसी में उक्त योजना लागू है. फसल कटाई प्रयोग के आंकड़े सासा कृषि विभाग द्वारा तैयार कर बीमा कम्पनी को उपलब्ध कराये जाते हैं.

5. भू-परिमाण एवं बंदोबस्त

5.1 भू-परिमाण एवं बंदोबस्त को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:—

(1) भू-परिमाण

(2) राजस्व सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त

6. ऐसे क्षेत्र जो अपरिमाणित हैं उनका अभिलेख तैयार करने के लिये किये जाने वाले सर्वेक्षण कार्य भू-परिमाण के अन्तर्गत हैं. भू-परिमाण के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं:—

6.1. अपरिमित क्षेत्रों का भू-परिमाण.—

इस योजना का उद्देश्य राज्य के ऐसे गांव जो भू-मापित नहीं हैं उनका भू-परिमाण कर नक्शा निर्माण करना एवं निर्मित नक्शों के आधार पर उनका अधिकार अभिलेख बनाना है. वर्तमान में प्रदेश के 29 जिलों के नगरेत्तर क्षेत्रों के नक्शाविहीन ग्रामों के नक्शा एवं अभिलेख के निर्माण कार्य चल रहा था. जिसमें से 21 जिलों का कार्य पूर्ण हो चुका है. 08 जिलों में कार्य प्रगति पर है. इनकी जिलेवार संख्या निम्नानुसार है:—

**नक्शा विहीन ग्रामों के नक्शा एवं अभिलेख निर्माण
दिनांक 04-01-2019 तक की स्थिति में**

क्रमांक	जिला का नाम	ग्रामों की संख्या	खोजें/तैयार किये गये नक्शों की संख्या	शेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्यापुर	103	103	कार्य पूर्ण
2	भिण्ड	45	45	कार्य पूर्ण
3	मुरैना	147	145	02
4	ग्वालियर	82	82	कार्य पूर्ण
5	दतिया	09	09	कार्य पूर्ण
6	गुना	54	54	कार्य पूर्ण
7	अशोकनगर	33	17	16
8	भोपाल	05	05	कार्य पूर्ण
9	विदिशा	72	66	06
10	राजगढ़	33	33	कार्य पूर्ण
11	छिन्दवाड़ा	04	04	कार्य पूर्ण
12	छतरपुर	104	103	01
13	शहडोल	71	71	कार्य पूर्ण
14	अनूपपुर	81	81	कार्य पूर्ण
15	उमरिया	03	03	कार्य पूर्ण
16	रोवा	38	37	01
17	सतना	95	95	कार्य पूर्ण
18	इंदौर	19	19	कार्य पूर्ण
19	धार	55	51	04
20	खरगोन	12	12	कार्य पूर्ण
21	रतलाम	15	15	कार्य पूर्ण
22	शाजापुर	44	42	02
23	मंदसौर	03	03	कार्य पूर्ण
24	नीमच	34	34	कार्य पूर्ण
25	टीकमगढ़	05	05	कार्य पूर्ण
26	सागर	01	01	कार्य पूर्ण
27	मण्डला	21	21	कार्य पूर्ण
28	देवास	10	09	01
29	आगर मालवा	05	05	कार्य पूर्ण
योग		1203	1170	33

टीप—

1	अधिसूचना नक्शाविहीन कुल ग्रामों की संख्या	-	1203
2	भौतिक सत्यापन में प्राप्त ग्रामों की संख्या	-	887
3	प्रस्तावित नक्शा निर्माण हेतु ग्रामों की संख्या	-	316
4	कार्य पूर्ण कर जिला प्रशासन को सौंपे गये ग्रामों की संख्या	-	283
5	नक्शा निर्माण हेतु शेष ग्रामों की संख्या	-	33

भूमि के नक्शों का डिजिटাইजेशन :

प्रदेश के 52 जिलों में उपलब्ध करायी गई 137084 मैपशीटों का डिजिटাইजेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इन सभी जिलों के नक्शों का डाटा खसरा डाटा से लिंक करा लिया गया है तथा खसरा के साथ नक्शा भी विभागीय वेबसाइट www.landrecords.mp.gov.in पर उपलब्ध है।

तत्समय नक्शाविहीन, जीर्णशीर्ण होने से डिजिटাইजेशन से शेष एवं मूल ग्रामों से पृथक कर बनाए गए मजरा टोलों की लगभग 8000 मैपशीटों का डिजिटাইजेशन मैप आई.टी. के माध्यम से कराया जा रहा है, जिससे प्रदेश के सभी ग्राम डिजिटल फॉर्मेट में परिवर्तित हो जाएंगे तथा इनका अपडेशन एवं रख-रखाव आसान हो सकेगा।

7. विभागीय प्रशिक्षण एवं परीक्षा की कार्य योजना:—

क्रमांक	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	जिला	प्रशिक्षणार्थियों का पदनाम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	वर्ष 2016-17	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला	इंदौर	राजस्व निरीक्षक	19	03-04-2017 से 3-1-2018	09 माह की अवधि का रा. नि. प्रशिक्षण
			पटवारी	35	03-04-2017 से 03-01-2018	09 माह की अवधि का पटवारी प्रशिक्षण
2	वर्ष 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 के नायब तहसीलदार	SLTI Gwalior	नायब तहसीलदार प्रथम बैच.	28	06-03-2018 से 22-03-2018	परीक्षापरिणाम घोषित
		SLTI Gwalior	नायब तहसीलदार द्वितीय बैच.	36	26-03-2018 से 11-04-2018	परीक्षापरिणाम घोषित
3	वर्ष 2017 के नवनियुक्त नायब तहसीलदार	SLTI Gwalior	नायब तहसीलदार प्रथम बैच.	73	04-06-2018 से 15-06-2018	परीक्षापरिणाम घोषित
4	वर्ष 2017 के नवनियुक्त नायब तहसीलदार	SLTI Gwalior	नायब तहसीलदार द्वितीय बैच.	84	30-07-2018 से 10-08-2018	परीक्षापरिणाम घोषित

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	वर्ष 2017 के नवनियुक्त नायब तहसीलदार	SLTI Gwalior	नायब तहसीलदार तृतीय बैच.	90	24-09-2018 से 05-10-2018	परीक्षापरिणाम घोषित
6	परिवीक्षाधीन उप जिलाध्यक्ष	SLTI Gwalior	उप जिलाध्यक्ष	42	23-04-2018 से 05-05-2018	परीक्षापरिणाम घोषित
7	परिवीक्षाधीन उप जिलाध्यक्ष	SLTI Gwalior	उप जिलाध्यक्ष	28	02-07-2018 से 14-07-2018	परीक्षापरिणाम घोषित
8	भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधिकारी	SLTI Gwalior	I.A.S.	13	13-08-2018 से 31-8-2018	परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है.
9	नव नियुक्त पटवारी 2018.	समस्त जिला	पटवारी	7900	06-08-2018 से 06-02-2019 तक.	प्रशिक्षण चल रहा है. पी.ई.बी. के माध्यम से वर्ष 2017 में चयनित 9235 पटवारियों की परीक्षा आयोजित कराई गई थी.

8. विभागीय निर्माण कार्य :—

8.1 राजस्व निरीक्षक/पटवारी कार्यालय सह आवास भवनों का निर्माण

1.1.1 उद्देश्य—राजस्व निरीक्षक/पटवारियों के कार्य का अधिकांश समय ग्रामीण अंचल में होता है परन्तु वहां निवास की उचित व्यवस्था न होने से उन्हें जिला व तहसील मुख्यालय पर निवास करना पड़ता है. फलस्वरूप कृषकों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है. कृषकों की समस्याओं का मौके पर ही निदान हो सके इसके लिए राजस्व निरीक्षक/पटवारियों को हल्के पर ही रहने की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए राज्य में रा. नि. मण्डल तथा पटवारी हल्के में कार्यालय सह आवासीय भवन बनवाने की योजना 12 वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भी क्रियान्वित की जा रही है. इस योजना के क्रियान्वयन से राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी अपने हल्कों में निवास कर सकेंगे और किसानों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण कर सकेंगे.

1.1.2 राजस्व निरीक्षक/पटवारी कार्यालय सह आवास निर्माण कार्य की प्रगति:—योजना के प्रारंभ से वर्ष 2015-16 तक कुल 1977 भवनों के निर्माण में रुपए 8207.71 लाख की राशि व्यय की गई है. अभी तक इस योजना के अन्तर्गत 1282 आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है. शेष 358 भवनों का निर्माण कार्य विभिन्न स्तरों पर जारी है.

1.1.3 वर्ष 2016-17 में 264 भवनों के निर्माण की स्वीकृति राज्य योजना आयोग द्वारा प्रदान की गई थी, जिसके निर्माण हेतु रु. 1372.80 लाख का आवंटन प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग को पत्र दिनांक 01-08-2016 द्वारा सौंपा गया था. निर्माण कार्य की समीक्षा हेतु प्रमुख सचिव, राजस्व की अध्यक्षता में

दिनांक 23-08-2016 को सम्पन्न हुई बैठक में लिए गये निर्णय अनुसार म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक एफ-14-04-2012-सात-शा-5 दिनांक 05-12-2016 द्वारा वर्ष 2016-17 के निर्माण कार्य हेतु राशि रु. 1372.80 लाख से पूर्व के स्वीकृत अपूर्ण निर्माण कार्यों को पूर्ण करने पर व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः वर्ष 2016-17 में कोई निर्माण कार्य नहीं कराये जा रहे हैं।

1.1.4 वित्त वर्ष 2017-18 में स्वीकृत राशि रु. 1023.00 लाख को प्रमुख सचिव, राजस्व की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 22-09-2017 में दिये गये निर्देशों के क्रम में राशि पुराने स्वीकृत निर्माण कार्यों को पूर्ण करने हेतु राशि रु. 1023.00 लाख पत्र दिनांक 29-09-2017 द्वारा प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल को बी.सी.ओ. से बी.सी.ओ. उपलब्ध कराई जा चुकी है।

1.1.5 वित्त वर्ष 2018-19 में स्वीकृत राशि रु. 2000.00 लाख में से शासन के पत्र क्र. एफ-03-63-18-सात-शा-5, दिनांक 05-10-2018 के निर्देशों के पालन में 5 भवनों के निर्माण को पूर्ण करने हेतु अंतर की राशि रु. 9.66 लाख प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग भोपाल को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 721-8-आयोजना दिनांक 13-12-2018 द्वारा बी.सी.ओ. से बी.सी.ओ. उपलब्ध कराई जा चुकी है।

8.2. अभिलेखागार भवनों का निर्माण :—राजस्व अभिलेख अति-महत्वपूर्ण श्रेणी का अभिलेख होता है इन अभिलेखों का उपयोग साक्ष्य के रूप में विभिन्न राजस्व न्यायालयों में अक्सर होता रहता है। इन अभिलेखों को व्यवस्थित एवं सुरक्षित रखने हेतु पृथक् से अभिलेखागार होना अति-आवश्यक है।

इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिला/तहसील मुख्यालयों पर अभिलेखागार निर्माण की योजना प्रारंभ की गई। योजना के प्रारंभ से वर्ष 2011-12 तक 261 अभिलेखागार भवनों का निर्माण कार्य कराया गया है जिसमें रुपये 1148.69 लाख का व्यय किया गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कुल 19 अभिलेखागार भवनों हेतु रुपये 75.00 लाख का आवंटन किया जा चुका है, जिसमें से 16 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

8.3 मॉडर्न अभिलेखागार का निर्माण :—

केन्द्र प्रवर्तित योजना (NLRMP) के अन्तर्गत भू-अभिलेखों को सुरक्षित रूप से रखने हेतु वर्ष 2009-10 में प्रदेश के 50 जिलों की 110 तहसीलों में मॉडर्न अभिलेखागार के निर्माण हेतु रुपये 1365.00 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं। प्रत्येक जिले में दो मॉडर्न रिकार्ड रूम निर्माण किये जावेंगे। जिला तहसील हेतु रुपये 13.50 लाख एवं जिले की एक अन्य तहसील हेतु रुपये 11.50 लाख इस प्रकार प्रत्येक जिले को रुपये 25.00 लाख का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। इन आधुनिक अभिलेखागारों में 65' x 30' के क्षेत्र में जंगरोधी रैक्स का निर्माण, रिकार्ड कीपर रूम टायलेट के साथ, कम्प्यूटर रूम एवं विजिटर रूम का निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 2015-16 तक 107 मॉडर्न अभिलेखागारों का निर्माण पूर्ण हो चुका है शेष में विभिन्न स्तरों पर निर्माण कार्य जारी है।

8.4 राजस्व निरीक्षक/पटवारी प्रशिक्षण शाला भवनों का निर्माण :—राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी भू-अभिलेख विभाग की महत्वपूर्ण इकाई है इन कर्मचारियों की नियुक्ति पश्चात् उन्हें प्रशिक्षित करने हेतु प्रदेश में राजस्व निरीक्षक/पटवारी प्रशिक्षण शाला के भवनों के निर्माण हेतु कार्य कराया गया है। इसके अंतर्गत राज्य में एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान ग्वालियर, दो राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला एवं 9 पटवारी प्रशिक्षण शाला संचालित हैं।

पटवारी प्रशिक्षण शाला होशंगाबाद/सागर/बालाघाट एवं जबलपुर में प्रशिक्षणार्थियों के आवास हेतु छात्रावास का निर्माण भी कराया गया है। वार्षिक योजना वर्ष 2013-14 में राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला इन्दौर को 50 बिस्तर

वाले छात्रावास हेतु राशि रु. 238.00 लाख का आवंटन एवं उज्जैन में छात्रावास/कार्यालय भवन के निर्माण हेतु 150.00 लाख का आवंटन दिया जा चुका है।

वर्ष 2016-17 में नवीन पटवारी प्रशिक्षण शाला रीवा के भवन निर्माण हेतु राशि रुपये 21.96 लाख का आवंटन चतुर्थ त्रैमास में सौंपा जा चुका है। इसी प्रकार राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान महलगांव में अनुरक्षण एवं विद्युतीकरण हेतु रुपये 6208078 लाख का आवंटन सौंपा जा चुका है।

वर्ष 2017-18 में प्रावधानित राशि रुपये 200.00 लाख में से बजट में उपलब्ध राशि रुपये 180.00 लाख को राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान एवं प्रशिक्षण शालाओं के आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण, नवीनीकरण एवं मरम्मत कार्य हेतु निम्नानुसार राशि रा.स्त.प्रशि. संस्थान, महलगांव को रुपये 81,48,235/- रा.नि.प्र.शाला उमरिया को रुपये 17,56,000/- एवं पटवारी प्रशिक्षण शाला होशंगाबाद को रुपये 6,38,278/- बालाघाट को रुपये 9,27,000/- सीहोर को रुपये 10,36,487/- सागर को रुपये 15,14,000/- मुरैना को 10,64,000/- जबलपुर को रुपये 7,29,000/- खरगौन को रुपये 12,76,000/- एवं उज्जैन को रुपये 9,11,000/- इस प्रकार कुल राशि रुपये 180.00 लाख बी.सी.ओ. से बी.सी.ओ. उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 में शासन द्वारा 270.00 लाख का आवंटन उपलब्ध कराया गया था, जिसमें से प्रशिक्षण शालाओं के उन्नयन एवं आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत प्रदेश में सम्मिलित प्रशिक्षण शालाओं हेतु रु. 89,75,131/- का आवंटन दिनांक 31-12-2018 को उपलब्ध कराया जा चुका है। कार्यवाही प्रचलित है।

9. स्थापना संबंधी:—

1. पदोन्नत किये गये अधिकारी/कर्मचारी की संवर्गवार जानकारी निरंक

2. स्थानान्तरण किये गये अधिकारियों/कर्मचारियों की संवर्गवार जानकारी:—

(1) महिला पटवारी	कुल—107
(2) राजस्व निरीक्षक	कुल—87
(3) सहायक ग्रेड-3	कुल—3
(4) चतुर्थ श्रेणी/भृत्य	कुल—3
(5) जू. डा. ए. आ.	कुल—9
(6) सहायक प्रोग्रामर	कुल—01

3. क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान का लाभ दिये गये अधिकारियों/कर्मचारियों की संवर्गवार जानकारी:—

(1) सहायक ग्रेड-3	कुल—41
(2) जू. डा. ए. आ.	कुल—45
(3) अनुरेखक	कुल—17
(4) शीघ्रलेखक	कुल—1
(5) वाहन चालक	कुल—1
(6) भृत्य/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	कुल—8
(7) सहायक ग्रेड-2	कुल—2
(8) दैनिक वेतन भोगी से स्थाई कर्मचारी	कुल—2

4. विभाग में स्वीकृत/भरे/रिक्त पदों की वर्तमान स्थिति में संवर्गवार जानकारी:—

5. दिनांक 01-04-2018 की स्थिति में जारी की गई पदक्रम सूचियों की संवर्गवार जानकारी:—

समस्त संवर्गों की दिनांक 1-4-2018 की स्थिति में पदक्रम सूची जारी की गई है.

6. अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों के निराकृत/लंबित प्रकरणों की जानकारी:—

प्रदेश के समस्त जिलों से प्राप्त मृतक शासकीय कर्मचारियों के आश्रितों द्वारा प्रस्तुत अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदन-पत्रों की वर्ष जनवरी 2018 से दिसम्बर 2018 तक की निराकरण संबंधी अद्यतन स्थिति:—

क्र.	कुल प्राप्त आवेदन पत्र	निराकृत कर दी गई सहायक ग्रेड-3 पद पर	नियुक्ति भृत्य के पद पर दी गई	पटवारी पद पर प्रशिक्षण की अनुमति दी गई	अमान्य/ निरस्त किये गये	पद रिक्त न होने से नियुक्ति संबंधी कार्यवाही हेतु एकल नस्ती शासन को भेजी गई	प्रकरणों में पायी गई कमियों की पूर्ति एवं अपने स्तर से कार्य-वाही हेतु कलेक्टर को वापस
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	64	5+पूर्व 12= 17	4+पूर्व 13=17	10+पूर्व 14=24	4+पूर्व 3=7	1+पूर्व 4=5	40+2=42

- (1) मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ-8-29/2004/सात-4/745, दिनांक 24-09-2007 द्वारा विभागीय नवीन संरचना के अन्तर्गत नवीन सेटअप की स्वीकृति अनुसार.
- (2) मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय के आदेश क्र. एफ 13-01-2013-सात-4 बी, दिनांक 30-11-2013 द्वारा नवगठित जिला कार्यालय, भू-अभिलेख, आगर-मालवा के लिये सृजित पदों को भी सम्मिलित किया गया है.
- (3) मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय के आदेश क्र. एफ-1-09/2016/सात/4 बी दिनांक 29 अगस्त 2016 द्वारा पटवारी के 7398 नवीन सृजित पद.

“स्वीकृत/भरे/रिक्त पदों की जानकारी माह दिसम्बर 2018

स. क्र.	पदनाम	कुल स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	आयुक्त, भू-अभिलेख	01	-	01	श्री एम. सेलवेन्द्रन (भा.प्र.से.), सचिव, (म. प्र.) शासन, राजस्व विभाग को आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, ग्वालियर का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	अपर आयुक्त, भू-अभिलेख	01	-	01	
3	संयुक्त आयुक्त, भू-अभिलेख	02	01	01	
4	संयुक्त संचालक (वित्त)	01	01	-	
5	संयुक्त संचालक (सा.)	-	-	-	01 पद किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिये.
6	जिला भू-प्रबन्धन अधिकारी	22	02	19	01 पद समर्पित.
		(-) 1			
7	उप आयुक्त (विधि)	01	01		राजस्व विभाग में पदस्थ
8	उप आयुक्त (सा.)	01	-	01	03 पद किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिये.
9	उप आयुक्त, भू-अभिलेख/उप प्राचार्य, राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान/प्राचार्य, राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शालाएँ/सर्वे अधिकारी/केडेस्ट्रल अधिकारी.	16	09	07	
10	सिस्टम एनालिस्ट	01	01	-	
11	प्रोग्रामर	01	-	01	
12	लेखा अधिकारी	01	01	-	
13	सहायक आयुक्त (सां.)	08	-	08	06 पद किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिये.
14	प्रशासनिक अधिकारी	01	-	01	
15	अधीक्षक, भू-अभिलेख	143	10	133	
16	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	280	141	139	
17	राजस्व निरीक्षक	2167	1628	539	
18	पटवारी	19020	9785	9235	व्यापम द्वारा भरे जा रहे हैं.
19	अधीक्षक मुख्यालय	08	02	06	01 पद किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिये.
20	सहायक अधीक्षक (कार्यालय)	16	-	16	
21	सहायक ग्रेड-1	23	02	21	02 पद किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिये.
22	ग्रंथपाल	01	-	01	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23	सहायक ग्रेड-2	147	41	106	01 पद किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिये.
24	सहायक ग्रेड-3	337	272	65	08 पद किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिये.
25	वरिष्ठ निज सहायक	01	01	-	01 पद किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिये.
26	निज सहायक	05	-	05	
27	शीघ्रलेखक (कनिष्ठ श्रेणी)	13	07	06	02 पद किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिये.
28	स्टेनो टायपिस्ट	01	-	01	02 पद किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिये.
29	पर्यवेक्षक, फसल प्रयोग	21	02	19	34 पद किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिये.
30	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	22	07	15	09 पद किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिये.
31	संगणक (सां.)	31	06	25	21 पद किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिये.
32	मुख्य मानचित्रकार	01	-	01	
33	मुख्य संगणक	03	-	03	
34	वरिष्ठ श्रेणी पारगामी	04	-	04	
35	पारगामी	08	05	03	
36	मानचित्रकार	84	21	63	
37	संगणक सर्वे	11	-	11	
38	अनुरेखक	168	118	50	
39	सहायक प्रोग्रामर	35	06	29	
40	डाटा एन्ट्री आपरेटर (मशीन आपरेटर-1 पद)	81+1=82	21	61	
41	जूनियर डाटा एन्ट्री आपरेटर (एक पद वायरमेन का सम्मिलित).	458	382	76	
42	सहायक लेखाधिकारी	04	03	01	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
43	वाहन चालक	20	12	08	01 पद किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिये.
44	सुपरवाइजर	01	-	01	
45	जमादार/दफ्तरी	09	-	09	
46	भृत्य/चतुर्थ श्रेणी नियमित	1437	1290	147	49 पद किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिये.
47	कंटेनजेन्सी/कलेक्टर दर पर	1160	416	744 डाइंग केडर घोषित	410 स्थाईकर्मि घोषित किये गये.
योग . .		25777	14194	11583	

दिनांक 01-01-2019 से 31-12-2024 तक मुख्यालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी जो शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने वालों की जानकारी:—

10. वित्त वर्ष 2018-19 में आयोजनेत्तर बजट प्रावधान तथा आवंटन:—

योजना का नाम	बजट प्रावधान	डी.डी.ओ. को आवंटित राशि	व्यय (31-12-2018 तक)	गतिविधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0990 क्षतिपूर्ति एवं अन्य वाण्ड्स एवं ब्याज (भारित)	200000	0	0	
3329 म. प्र. अधिनियम 1960 के अधीन भूमि धारकों को राज्य में भूमि वेष्टित करने पर क्षतिपूर्ति पर ब्याज (भारित)	50000	0	0	
योजना शीर्ष 0456-आयुक्त भू-अभिलेख का कार्यालय	100729300	67369369	59809303	वेतन भत्ते एवं स्थापना व अन्य कार्य व्यय.
6846-भू-प्रबंधन	1028222000	529273593	498361401	तदैव
2193 नजूल स्थापना	314669000	222078859	216816085	तदैव
2503-परिमाणन व्यवस्थापन (डायवर्सन)	401998900	243152695	242762999	तदैव
3132-भू-सुधार कार्यालय	17229400	10610078	10514281	तदैव
0767-कपास पर फसल अनुमान	9900	0	0	तदैव
1472-जिला खर्च	5643679500	4264461999	4250957467	तदैव
1904-तेरहवीं पंचवर्षीय पशु संगणना	3462000	1387534	1387534	तदैव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2494-पदाधिकारियों को सर्वेक्षण प्रशिक्षण हेतु संस्थान.	8192000	4485744	3255062	तदैव
2817 फसलों की सांख्यिकी में सुधार की योजना.	1000	0	0	योजना कृषि विभाग को हस्तांतरित.
3542 मुख्य फसलों के क्षेत्रफल तथा उत्पादन संबंधी अनुमानों को समयपर भेजने की योजना.	1000	0	0	तदैव
5070 कम्प्यूटर्स का उन्नयन एवं नवीन तकनीकी उप.	206001800	0	0	सर्वे उपकरण एवं वाहनों का प्रतिस्थापन से संबंधित
5917 भू-अभिलेख की योजनाओं का विस्तार.	900	0	0	
6155 कृषकों के अधिकार अभिलेख तथा ऋण पुस्तिकाओं का निःशुल्क प्रदाय.	5000000	223940	223940	ज्ञासकीय प्रेस के देयक
6337 भू-अभिलेख का अद्यतीकरण (NRLMP)	900	0	0	
7167 एस एल टी आई एवं अन्य प्रशिक्षण शालाओं का उन्नयन	27000000	8975131	0	लो.नि.वि. को राशि अंतरित
7603 राष्ट्रीय फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन.	1000	0	0	
8162 सिंचाई सांख्यिकी के युक्तिकरण युक्तिकरण की योजना.	1000	0	0	योजना कृषि विभाग को हस्तांतरित.
8808 सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	180468000	23012000	7817598	विभाग के आई.टी. संबंधी कार्य हेतु.
9981 लघु सिंचाई योजनाओं की संगणना हेतु मानदेय.	13456500	5471000	341690	केन्द्र क्षेत्रीय योजना होने से राशि केन्द्र सरकार द्वारा रिलीज की गई.
5160 कम आबादी वाली तहसीलों में आवासीय परिसर का निर्माण.	1000	0	0	योजना प्रमुख राजस्व आयुक्त को हस्तांतरित.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6980 भू-अभिलेख जिला प्रशासन के स्तरों में सुधार की योजना (रा.नि./पटवारी कार्यालय सह आवास योजना).	2000000000	966000	0	विगत वर्षों के लंबित कार्य हेतु लो.नि.वि. को राशि अंतरित.
2183 नगरीय भूमि सीमा अधिनियम 1976 अन्तर्गत भूमि धारकों को मुआवजे का भुगतान बाण्ड्स.	1000	0	0	
योग:—बी.सी.ओ. 0704 आयुक्त भू-अभिलेख, म. प्र.	8150376100	5381487942	5292247360	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

मध्यप्रदेश राज्य :

राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 01-11-1956 को मध्यप्रदेश राज्य का गठन हुआ जिसमें :—

1. पूर्व मध्यप्रदेश का महाकौशल क्षेत्र
2. मध्यभारत
3. विन्ध्यप्रदेश
4. भोपाल तथा
5. राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र

सम्मिलित किये गये राज्य के गठन के पहले इन इकाईयों में भूमि तथा विवादों से संबंधित विभिन्न प्रकार के कानून / अधिनियम लागू थे जिन्हें लोप किया जाकर दिनांक 02-10-1959 से मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 को लागू किया गया।

2. वर्तमान में मध्यप्रदेश में राजस्व से संबंधित इकाईयां इस प्रकार हैं:—

<u>क्र. संभाग</u>	<u>जिले</u>
1. ग्वालियर	ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना और अशोकनगर
2. चम्बल	भिण्ड, मुरैना और श्योपुर
3. इन्दौर	इन्दौर, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, झाबुआ, खण्डवा खरगोन, बुरहानपुर.
4. उज्जैन	उज्जैन, आगर, देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर.
5. भोपाल	भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा
6. नर्मदापुरम	होशंगाबाद, हरदा, बैतूल
7. सागर	सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी
8. रीवा	रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली
9. जबलपुर	जबलपुर, बालाघाट, छिन्दवाड़ा, कटनी, मण्डला, नरसिंहपुर, सिवनी
10. शहडोल	शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी

संभागों में कमिश्नर राजस्व तथा भूमि से संबंधित विवादों के कार्यों को देखते हैं। उनकी सहायता के लिये एक अतिरिक्त कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है। इसी प्रकार प्रत्येक जिले में कलेक्टर रहता है जिसकी सहायता के लिये अपर कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार इत्यादि पदस्थ रहते हैं। ये सभी मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा के अंतर्गत राजस्व अधिकारी परिभाषित किये गये और इन्हें राजस्व न्यायालयों की शक्तियां दी गई हैं।

राजस्व मण्डल पृष्ठ भूमि एवं गठन :

मध्यप्रदेश राज्य के गठन के पहले मध्यप्रान्त तथा बरार, मध्यभारत, विन्ध्यप्रदेश क्षेत्रों में राजस्व मण्डल कार्यरत था जबकि भोपाल में राजस्व मण्डल जैसी संस्था नहीं थी। इन सभी क्षेत्रों में स्थापित राजस्व मण्डलों को 1-11-1956 के असाधारण गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा एकीकृत करते हुए सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिये एक राजस्व मण्डल की स्थापना की गई तथा इसकी मुख्यपीठ ग्वालियर में रखी गई। राजस्व मण्डल द्वारा मुख्यपीठ के अतिरिक्त भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, रीवा, जबलपुर एवं सागर में संभागीय मुख्यालयों पर सर्किट कोर्ट लगाए जाते हैं, जहां संबंधित क्षेत्रों के प्रकरणों की सुनवाई की जाकर उनका निराकरण किया जाता है।

स्वतंत्र व निष्पक्ष :

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 3 के अंतर्गत राजस्व मण्डल का गठन किया गया है जिसके अनुसार मण्डल में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त दो या अधिक सदस्य रहते हैं। मंडल के अध्यक्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा के मुख्य सचिव स्तर के तथा प्रशासनिक सदस्य व सभी अन्य सदस्य सुपर टाइम स्केल अथवा इससे ऊपर के अधिकारी रहते हैं। इनमें वरिष्ठतम अधिकारी प्रशासनिक सदस्य होता है। न्यायिक व्यवस्था को निष्पक्ष व शासन-तंत्र से स्वतंत्र रखने की दृष्टि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान मण्डल के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते तथा अन्य उपलब्धियां राज्य की संचित निधि में भारित रूप में रखी गई हैं।

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 प्रभाव :

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन का राजस्व मण्डल पर प्रभाव निम्नानुसार है:—

1. राजस्व मण्डल की नियम बनाने की शक्ति बनाने की शक्तियां वापस ली गईं.
2. राजस्व मण्डल की आयुक्त/अपर आयुक्त के द्वितीय अपील में पारित आदेशों का पुनरीक्षण सुनने के अधिकार समाप्त.
3. मुख्य नियंत्रक प्राधिकारी का अधिकार हटाया.

कर्तव्य एवं शक्तियां :

मण्डल को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं:—

राजस्व मंडल मुख्य राजस्व प्राधिकारी या मुख्य नियंत्रक राजस्व अधिकारी है। इसके अतिरिक्त मण्डल को मध्यप्रदेश मण्डल में मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, को (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अंतर्गत निम्न अधिकार प्रदत्त किये गये हैं.

1. धारा 8 के अंतर्गत अधीक्षण की शक्तियां
2. धारा 29 (1) के अंतर्गत मामलों के अंतरण की शक्ति
3. धारा 44 के अधीन अपीलों सुनने की शक्ति
4. धारा 51 के अंतर्गत पुनरावलोकन की शक्ति
5. धारा 262 (3) के अंतर्गत राज्य शासन की शक्तियां.

मुख्य राजस्व प्राधिकारी या मुख्य नियंत्रक, राजस्व प्राधिकारी के रूप में मण्डल की हैसियत से मण्डल निम्नलिखित अधिनियमों के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करता है :—

1. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 62 (2) अंतर्गत बने अपील नियमों के नियम 2 तथा 7 के अधीन पुनरीक्षण एवं अपील के अधिकार.
2. मुद्रांक अधिनियम, 1899 के अध्याय 6 के अधीन मुख्य नियंत्रक, प्राधिकारी की शक्तियां.
3. मध्यप्रदेश कोर्ट ऑफ बार्डस एक्ट, 1899 की धारा 12 (2) तथा 15 के अधीन आयुक्त द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील सुनने के अधिकार राजस्व मण्डल को दिये गये हैं.
4. मध्यप्रदेश कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 की धारा 4 (3) तथा 41 के अंतर्गत राजस्व मण्डल को अपीलीय अधिकार दिये गये हैं तथा उक्त अधिनियम की धारा 42 के अधीन मण्डल को पुनरीक्षण के अधिकार भी प्राप्त हैं.

अध्यक्ष, राजस्व मण्डल को विशेषाधिकार :

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संशोधन अधिनियम 2018) की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के अलावा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 4-1/96/1/9 भोपाल, दिनांक 27 मार्च 1996 द्वारा राज्य शासन ने अध्यक्ष, राजस्व मण्डल को मध्यप्रदेश के कमिश्नरों, कलेक्टरों एवं अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के निरीक्षण करने के अधिकार दिए हैं। इसके अलावा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 (-) के प्रयोजनों के लिये अध्यक्ष, राजस्व मण्डल को "पदाधिकारी" नियुक्त किया गया है।

मण्डल का सचिवालय :

प्रशासनिक सहायता तथा दैनिक कार्यों के निष्पादन के उद्देश्य से मण्डल का एक कार्यालय है जिसमें एक सचिव (आई. ए. एस. संवर्ग के अधिकारी) हैं। उनकी सहायता के लिए निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं:—

अवर सचिव	2
अनुभाग अधिकारी	2
सहायक अनुभाग अधिकारी	2
स्टॉफ ऑफिसर	1
लेखाधिकारी	1

इसके अतिरिक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अन्य पद भी स्वीकृत हैं। वर्तमान में मण्डल में कुल 109 पदों के विरुद्ध कुल 72 कर्मचारी कार्यरत हैं।

मण्डल के कार्य/ उपलब्धि :

1. राजस्व मण्डल द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 8 के अंतर्गत अधीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभिन्न स्तर के राजस्व न्यायालयों को प्रभावी स्वरूप प्रदान करने की दृष्टि से मण्डल द्वारा पुरानी "लीक" से हटकर कुछ ठोस प्रयोग किये गये हैं जिनके परिणाम काफी उत्साहवर्धक रहे हैं।
2. राजस्व मण्डल का मुख्यालय (मुख्यपीठ) ग्वालियर में है। वर्तमान में मण्डल में अध्यक्ष सहित चार पीठासीन अधिकारियों के न्यायालय हैं। इन न्यायालयों में ग्वालियर एवं चंबल संभाग के आठ जिलों के प्रकरणों की सुनवाई मुख्यालय पर की जाती है। जन सामान्य को सस्ता एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दृष्टि से प्रदेश के अन्य संभागों के 44 जिलों के प्रकरणों की सुनवाई हेतु मुख्यालय के अतिरिक्त राज्य के छः संभागीय मुख्यालयों भोपाल, इंदौर, उज्जैन जबलपुर, रीवा एवं सागर पर सर्किट कोर्ट की व्यवस्था की गई है। यह प्रयास निर्धारित किए गए कार्यक्रम के अनुसार सर्किट पर प्रकरणों की सुनवाई करें। इससे जहां एक ओर संबंधित क्षेत्र की जनता को आने जाने में होने वाली असुविधा एवं खर्च से बचाया जा सका है वहीं दूसरी ओर क्षेत्र की समस्याओं विशेषकर राजस्व प्रशासन से जुड़ी समस्याओं की जानकारी भी मण्डल को मिलती रही है जिनके निराकरण के लिए यथासमय आवश्यक कदम उठाये गये हैं।
3. इसके अतिरिक्त अभिभाषकगण एवं पक्षकारों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय में दायर प्रकरणों को कम्प्यूटाइज्ड किये जाने का कार्य किया जा रहा है, उक्त कार्य से अभिभाषकगण एवं पक्षकारों को प्रकरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी तथा निराकृत प्रकरणों की जानकारी भी ऑनलाईन उपलब्ध हो पा रही है, साथ ही प्रकरण में हुए आदेश की प्रति भी ऑनलाईन उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार प्रकरणों में पारित आदेशों की नकल भी पक्षकारों

को ऑनलाईन उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे नकल आदि पक्षकारों को त्वरित गति से प्राप्त हो रही है.

4. राजस्व मण्डल को अपनी विशिष्ट उपलब्धियों एवं कार्यालयीन/न्यायालयीन रख-रखाव हेतु ISO 9001:2015 का सर्टिफिकेट नं. 17DQBV17 दिनांक 26-07-2017 भी प्रदाय किया गया है.
5. अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में माह के प्रथम मंगलवार को समस्त पीठासीन अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित कर न्यायालयीन एवं कार्यालयीन कार्यों की प्रगति संबंधी समीक्षा की जाती है, जिससे न्यायालयीन एवं कार्यालयीन कार्य सुचारू रूप से एवं त्वरित गति से संपादित हो रहे हैं.
6. राजस्व मण्डल द्वारा राजस्व एवं अन्य अधिनियमों के प्रकरणों के निराकरण में जहां एक ओर यह प्रयास किये गये हैं कि मण्डल के प्रत्येक पीठासीन अधिकारी द्वारा माह में कम से कम 70 एवं इसके अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जाये वहीं दूसरी ओर प्रकरणों में पारित आदेशों की गुणवत्ता में भी सुधार हो, क्योंकि राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरणों में पारित आदेश/निर्णय अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के कार्य निष्पादन में दलीलों के रूप में कानूनी व्याख्या में सहायक होते हैं. इसी उद्देश्य से राजस्व एवं अन्य अधिनियमों के अंतर्गत कुछ विशिष्ट प्रकरणों की सुनवाई युगल पीठ या पूर्ण पीठ के द्वारा करने का प्रावधान है.
7. राजस्व मण्डल के पीठासीन अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को Website/App पर उपलब्ध कराया जा रहा है व पुराने आदेश का Lamination & Digitization कराया जा रहा है तथा RCMS पर पुराने प्रकरणों की प्रविष्टियां कराई गईं.
8. नवीन कार्यालय राजस्व भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर में न्यायिक प्रकरणों का संस्थान एवं निर्णय दर्शाने वाला माह अक्टूबर 2017 से सितंबर 2018 की स्थिति दर्शाने वाला वार्षिक पत्रक

वर्ष 2018-19

क्र.	01 अक्टूबर 2017 को प्रारंभिक विचाराधीन प्रकरणों की संख्या	01 अक्टूबर 2017 से 30 सितंबर 2018 तक दायर प्रकरणों की संख्या	01 अक्टूबर 2017 से 30 सितंबर 2018 तक कुल प्रकरणों की संख्या	01 अक्टूबर 2017 से 30 सितंबर 2018 तक निर्णित प्रकरण	30 सितम्बर 2018 के अंत में शेष प्रकरणों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	11388	8686	20074	5029	15045

बजट का विवरण वित्तीय वर्ष 2017-18

आंकड़े हजार रुपये में.

	बजट प्रावधान	व्यय
मतदेय	67742	39717
भारित	14350	9814

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
राजस्व मण्डल के स्वीकृत पदों की जानकारी
दिनांक 30-09-2018 की स्थिति में

पदनाम (1)	स्वीकृत पद (2)	स्थाई (3)	अस्थाई (4)	भरे पद (5)	रिक्त पद (6)
अध्यक्ष	1	1	0	1	0
प्रशासकीय सदस्य	1	1	0	1	0
सदस्य	3	3	0	3	0
सचिव	1	1	0	1	0
स्टॉफ आफिसर	1	1	0	1	0
अवर सचिव	2	0	1	1	2
लेखाधिकारी	1	1	0	1	0
अनुभाग अधिकारी	2	2	0	1	1
सहायक अनुभाग अधिकारी	2	2	0	2	0
ग्रन्थपाल	1	0	1	1	0
सहायक वर्ग-1	10	8	2	5	5
सहायक वर्ग-2	18	18	0	10	8
सहायक वर्ग-3	12	12	0	11	1
वरिष्ठ निज सहायक	3	3	0	1	2
निज सहायक	10	9	1	2	8
शीघ्र लेखक	3	2	1	2	1
स्टेनोग्राफिस्ट	5	5	0	5	0
वाहन चालक	7	0	7	4	3
दफ्तरी	1	1	0	0	1
जमादार	7	7	0	5	2
रिकार्ड लिफ्टर	1	1	0	0	1
भृत्य	31	28	3	25	6
स्थाईकर्म	0	0	0	1	0
योग	123	106	16	84	41

अवर सचिव

राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग मध्यप्रदेश भोपाल

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

विभागाध्यक्ष :-

श्री राजेश कुमार कौल — अवधि 13-12-2017 से दिनांक 12-07-2018
 श्री अरूण कुमार तोमर — अवधि 12-07-2018 से लगातार

विभागीय संरचना :-

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग के अन्तर्गत क्रमशः भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं रीवा में स्थित मुद्रणालयों से जिलों का सम्बद्धीकरण निम्नानुसार है:-

स.क्र. (1)	मुद्रणालय का नाम (2)	सम्बद्ध जिलों के नाम (3)
1.	शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल 14 जिले	भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, जबलपुर, छिन्दवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, नरसिंहपुर, मण्डला, एवं राजगढ़.
2.	शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर 12 जिले	ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्योपुर, भिण्ड, सागर, दमोह, छतरपुर एवं टीकमगढ़.
3.	शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, इन्दौर 15 जिले	इन्दौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खण्डवा, बुरहानपुर, उज्जैन, देवास, रतलाम, मन्दसौर, नीमच, शाजापुर एवं आगर-मालवा.
4.	शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, रीवा 10 जिले	रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना, शहडोल, उमरिया, डिण्डौरी, अनूपपुर, कटनी एवं पन्ना.

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 3-3/2017/सात-4ए, दिनांक 16-5-2017 के द्वारा कार्यालय सहायक नियंत्रक, शासकीय लेखन सामग्री एवं प्रकाशन भण्डार, भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं जबलपुर के कार्यालयों को वित्तीय वर्ष 2016-17 के उपरान्त बन्द किया गया. उक्त कार्यालयों के स्वीकृत पदों को मुख्यालय एवं अधीनस्थ मुद्रणालयों के स्वीकृत पदों में जोड़ा गया है जिनकी श्रेणीवार जानकारी निम्नानुसार है:-

स.क्र. (1)	श्रेणी (2)	स्वीकृत पद (3)	भरे पद (4)	रिक्त पद (5)
1.	प्रथम श्रेणी	07	05	02
2.	द्वितीय श्रेणी	09	03	06
3.	तृतीय श्रेणी	961	499	462
4.	चतुर्थ श्रेणी	299	149	150
5.	आकस्मिकता निधि	05	02	03
योग . .		1281	658	623

टीप :- विभागीय संरचना (सेटअप) के अन्तर्गत कार्यवाही प्रचलन में होने के कारण रिक्त पदों की प्रतिपूर्ति नहीं हो सकी है.

दिनांक 1-1-2018 से दिनांक 31-12-2018 तक की स्थिति में

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| (1) पदोन्नति | : | माननीय उच्च न्यायालय, में पदोन्नति संबंधी याचिका लंबित होने के कारण से पदोन्नति के पद लंबित हैं. |
| (2) समयमान वेतनमान का लाभ | : | विभाग के 84 कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ दिया गया. |
| (3) अनुकम्पा नियुक्ति | : | सीधी भर्ती से कोई नियुक्ति नहीं की गई है. अनुकम्पा के आधार पर 05 नियुक्ति की गई हैं. |
| (4) परिवीक्षा अवधि समाप्त करना | : | 05 कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि समाप्त की गयी है. |
| (5) परीक्षण अवधि समाप्त करना | : | 02 कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि समाप्त की गयी है. |
| (6) विभागीय जांच | : | 08 प्रकरण अधिकारी के एवं 11 प्रकरण कर्मचारियों के लंबित हैं. |
| (7) न्यायालय प्रकरण | : | 37 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है. |

नियंत्रक के दायित्व :

मध्यप्रदेश राजपत्र का प्रकाशन, विधान सभा प्रश्नोत्तरी एवं कार्यवाही विवरण का मुद्रण, विभिन्न निर्वाचनों हेतु मतपत्रों, निर्वाचन संबंधित प्रपत्र एवं लिफाफों का मुद्रण, बजट (अनुदानों की मांग) पुस्तिका का मुद्रण, शैड्यूल प्रपत्रों का मुद्रण, विधान सभा के प्रश्नोत्तरी एवं अन्य सामग्रियों का मुद्रण, शासकीय डायरी एवं कैलेण्डरों का मुद्रण तथा प्रकाशन. मध्यप्रदेश शासन के समस्त शासकीय विभागों को उनकी मांग अनुसार सामग्री का मुद्रण कर प्रदाय करना.

सामान्य या प्रमुख विशेषताएं :

विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय विभागों / कार्यालयों की अनुसूची एवं गैर-अनुसूची प्रपत्रों एवं बुकों, राजपत्र, बजट, अनुमान पुस्तिका, विधान सभा प्रश्नावली एवं कार्यवाही विवरण के साथ मतपत्र मुद्रण के अति गोपनीय कार्य एवं नवीन वर्ष के शासकीय डायरी / कैलेण्डर का मुद्रणकर प्रदाय करना.

मध्यप्रदेश राजपत्र एवं असाधारण राजपत्र को विभाग की वेबसाईट www.govtpressmo.nic.in पर माह सितम्बर 2010 से अपलोड किया जा रहा है, जिससे शासकीय विभागों एवं जन सामान्य को सुगमता से राजपत्र प्राप्त करने में सुविधा होती है.

महत्वपूर्ण सांख्यिकी:

लक्ष्य का नाम	निर्धारित वार्षिक लक्ष्य 2018-19	वार्षिक लक्ष्य के आधार पर दिनांक 31-12-2018 तक निर्धारित लक्ष्य	वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध माह दिसम्बर 2018 तक की प्राप्तियां	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
भौतिक लक्ष्य				
अ. मुद्रण इम्प्रेसन ए/2 आकार	17,00,00,000	12,75,00,000	7,45,66,123	58.48
ब. कम्पोज पृष्ठ ए/4 आकार	64,000	48,000	28,995	60.40
आर्थिक लक्ष्य (रुपयों में)	38,00,00,000	28,50,00,000	8,69,15,393	30.49

बजट प्रावधान लक्ष्य व्यय

मांग संख्या-09 शीर्ष 2058—लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग के बजट का विवरण निम्नानुसार है :—

बजट शीर्ष का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19 का प्रावधान	वित्त विभाग द्वारा कटोत्रे के पश्चात् प्राप्त आवंटन	दिनांक 31-12-2018 तक का प्राप्त आवंटन के विरुद्ध व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)
मांग संख्या-9 शीर्ष	65,69,62,000	656336000	
	3,70,000 भारित	3,59,000 भारित	35,34,95,375
	1,00,000 भारित	1,00,000 भारित	

हस्ता./-
नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
म. प्र., भोपाल.

